संयुक्त निदेशक (शष्य) उपादान, बिहार, पटना की अध्यक्षता में दिनांक 10.11.2016 को कीटनाशी विनिर्माता/विपणनकर्त्ता कंपनियों एवं विभागीय पदाधिकारियों के साथ सम्पन्न बैठक की कार्यवाही।

संचिका नं0–9/उपा0 कीट0–04/2016

बैठक में उपस्थित :–

1. संयुक्त निदेशक, (शष्य) उपादान, बिहार, पटना।
2. उप निदेशक(पौ0सं0) पटना प्रमंडल, पटना।
3. सहायक निदेशक (पौ0सं0) पटना प्रमंडल, पटना।
4. प्रशाखा पदाधिकारी, प्रशाखा–9
5. विनय कुमार, सहायक, प्रशाखा–9
6. निर्भय, सहायक, प्रशाखा–9

बैठक की कार्यवाही :–

1. सर्वप्रथम पूर्व की बैठक में लिये गये निर्णयों के अनुपालन की समीक्षा की गई।
2. कीटनाशी विनिर्माता/विपणनकर्त्ता को निदेश दिया गया कि दिनांक 03.02.2016 के बाद निर्गत सभी विनिर्माण/नवीकरण एवं प्रक्रियाधीन अनुज्ञप्तियों का नवीकरण एवं नयी अनुज्ञप्ति हेतु विभाग द्वारा निर्गत अधिसूचना के आलोक में शेष शूल्क का कोषागार चलान शीघ्र जमा करना सुनिश्चित करेंगे

   (अनुपालनः– कीटनाशी कम्पनियों के प्रतिनिधि)
3. सभी किटनाशी विनिर्माता एवं सुत्रीकरण इकाई के प्रबंधक तथा विक्रेता एवं थोक विक्रेता निश्चित रूप से खपत तथा अवशेष प्रति माह अनुज्ञापन पदाधिकारी एवं किटनाशी निरीक्षक को निश्चित रूप से उपलब्ध करायेंगे।

   (अनुपालनः– कीटनाशी कम्पनियों के प्रतिनिधि)
4. कीटनाशी विनिर्माता/विपणनकर्त्ता जो मासिक बैठक में भाग नहीं लेते है, उनसे स्पष्टीकरण पुछने का निर्णय लिया गया साथ ही कीटनाशी कम्पनियों की कम उपस्थिति पर खेद प्रकट किया गया।

   (अनुपालनः– कीटनाशी कम्पनियों के प्रतिनिधि)
5. कीटनाशी विनिर्माता अपने थोक विक्रेता/विक्रेता (Distibutor/Dealer) को निश्चित रूप से Principle Certificate विहित प्रपत्र में स्वयं भरकर उपलब्ध करायेंगे। इसका शख्ती से अनुपालन सुनिश्चित किया जाएगा। सभी कीटनाशी कम्पनियों के विनिर्माता निश्चित रूप से CD में अपने सभी वितरकों एवं विक्रेताओं की सूची दिनांक 30 नवम्बर, 2016 तक अधोहस्ताक्षरी को उपलब्ध कराना सुनिश्चित करेंगे।

   (अनुपालनः– कीटनाशी कम्पनियों के प्रतिनिधि)
6. सभी कीटनाशी के विनिर्माता/विक्रेता कीटनाशी अधिनियम 1968, नियमावली 1971, आदेश 1986 एवं संशोधीत नियम 2015 के तहत निश्चित रूप से कीटनाशी सुरक्षा मानक का अनुपालन एवं उसका प्रयोग साथ हीं उपयोग में आने वाले सभी सुरक्षा से संबंधीत सामग्रीयों का गुणवता मानक के अनुरूप सुनिश्चित करेंगे।

   (अनुपालनः– कीटनाशी कम्पनियों के प्रतिनिधि)
7. सभी कीटनाशी के विनिर्माता विनिर्माण ईकाइ में उपयोंग होने वाले यंत्रों/उपकरणों एवं प्रयोगशाला में उपयोग होने वाले उपकरणों की सूची निश्चित रूप से आवेदन पत्र के साथ अपने हस्ताक्षर से प्रस्तुत करना सुनिश्चित करेंगे।

   (अनुपालनः– कीटनाशी कम्पनियों के प्रतिनिधि)

8. कीटनाशी अपशेषों/अवसान तिथि पार कीटनाशी एवं कीटनाशी के खाली डब्बे के Disp... हेतु सभी कम्पनीयों को निदेश दिया गया की वे निश्चित रूप राज्य अवस्थित प्रदुषण नियंत्र... बोर्ड से सम्पर्क स्थापित कर Disposal हेतु स्थायी एवं प्रभावी व्यवस्था सुनिश्चित करें।

(अनुपालनः– कीटनाशी कम्पनियों के प्रतिनिधि)

9. भारत सरकार से प्राप्त नए राजपत्र (असाधारण) अधिसूचना संख्या–565 दिनांक 12.08.2016 के आलोक में कीटनाशी विक्रेताओं के लिए संसोधित योग्यता स्नातक, कृषि/स्नातक विज्ञान रसायन के साथ एवं इसके अतिरिक्त Diploma किसी सरकारी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय या संस्थान से कृषि या बागवानी में या संबद्ध विषय में जिसमें वनस्पति संरक्षण और नाश्कजीवमार प्रबंधन के संबंध में विषय वस्तु का पाठयक्रम सम्मिलित है, एक वर्ष की डिप्लोमा पाठयक्रम। परंतु ऐसे सभी फुटकर विक्रेता या डीलर जिनके पास इन नियमों की अधिसूचना की तारीख को विहित अर्हता के बिना विधिमान्य अनुज्ञप्ति है, उक्त अर्हताएं पूरी करने के लिए दो वर्ष की अवधि का समय दिया जाएगा। इसके संबंध में निदेश के आलोक में मंतव्य के साथ भारत सरकार को सुचित करने का निदेश दिया गया है।

(अनुपालनः कीटनाशी कम्पनियों के प्रतिनिधि)

10. अधिक से अधिक गुणवतायुक्त सही कीटनाशी किसानों तक पहुंचे उसके लिए विनिर्माता एवं विक्रेताओं से अपेक्षित सहयोग एवं नियमानुसार आगे की कार्रवाई सुनिश्चित करने का निदेश दिया गया।

(अनुपालनः– कीटनाशी कम्पनियों के प्रतिनिधि)

अंत धन्यवाद ज्ञापन के साथ बैठक समाप्त की गई।

17.11.16

(नईम अशरफ),
संयुक्त निदेशक (शष्य) उपादान,
बिहार, पटना

ज्ञापांकः–9/उपा0कीट0अनु0– 4930 /कृ0, पटना, दिनांक, 25 नवम्बर,2016

प्रतिलिपिः– बिहार राज्य स्थित सभी विनिमार्ता/विपणन कम्पनी को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

17.11.16

संयुक्त निदेशक (शष्य) उपादान,
बिहार, पटना

ज्ञापांकः–9/उपा0कीट0अनु0– 4930 /कृ0, पटना, दिनांक, 25 नवम्बर, 2016

प्रतिलिपिः– संयुक्त निदेशक (शष्य) उपादान, बिहार, पटना/संयुक्त निदेशक (पौ0सं0) बिहार, पटना/ सहायक निदेशक(सां0)–सह–प्रभारी कीटनाशी अनुज्ञप्ति, बिहार/उप निदेशक (शष्य) उपादान, प्रर्वतन, उर्वरक/कीटनाशी/प्रशाखा पदाधिकारी –9 /श्री विनय कुमार/ श्री निर्भय कुमार सिंह, सहायक को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित। संयुक्त निदेशक (पौधा संरक्षण) बिहार, पटना, मीठापुर से अनुरोध है कि अपने स्तर से सभी कीटनाशी विपणन/विनिर्माता कम्पनीयों को अपने स्तर से ई–मेल से बैठक की कार्यवाही की प्रति भेजा जाय।

17.11.16

संयुक्त निदेशक (शष्य) उपादान,
बिहार, पटना

ज्ञापांकः—9 / उपा0कीट0अनु0— 4930 / कृ0, पटना, दिनांक, 25 नवम्बर, 2016

प्रतिलिपिः— कृषि निदेशक, बिहार, पटना के आप्त सचिव को सूचनार्थ प्रेषित।

17.11.16

संयुक्त निदेशक (शष्य) उपादान,
बिहार, पटना

ज्ञापांकः—9 / उपा0कीट0—53 / 2012 4930 / कृ0, पटना, दिनांक, 25 नवम्बर, 2016

प्रतिलिपिः— आई0 टी0 मैनेजर, कृषि विभाग बिहार, पटना को विभागीय बेवसाईट पर अपलोड करने हेतु प्रेषित।

17.11.16

संयुक्त निदेशक (शष्य) उपादान,
बिहार, पटना